नकल आदेश दिनांक 11.10.2019

मण्डल:- बरेली,जनपद:- बरेली,तहसील:- आंवला

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 06087/2019

चन्द्रवती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान दवचरा द्वारा सचिव श्रीमती अनीता सहगल बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201912130206087

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 11/10/2019

अंतिम आदेश

निर्णय

उक्त वाद मे चन्द्रवती मेमोरियल शैक्षिक संस्थाम देवचरा द्वारा सचिव श्रीमती अनीता सहगल श्रीमती अनीता सहगल पत्नी के0एन0सहगल देवचरा, हाल निवासी 98/99 आशिष राॅयल पाक फेस 2 अपोजिट रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज पीलीभीत बाईपास बरेली द्वारा ग्राम देवचरा स्थित गाटा सं0 495/0.809है0 मे से 0.003है0 को अकृषिक घोषित कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार आंवला से स्थलीय जांच करायी गयी। तहसीलदार आंवला द्वारा दी गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 04.10.2019 मे इंगित किया गया है कि ग्राम देवचरा परगना व तहसील आंवला के गाटा सं0 495 क्षेत्रफल 0.809है0 मे से 0.003है0 पर चारदीवारी बनी हुई है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

मेरे द्वारा पत्रावली का परीक्षण किया गया। तहसीलदार आंवला की आख्यानुसार वादग्रस्त भूमि पर चार दीवारी बनी हुई है, कृषि कार्य नहीं हो रहा है, तदानुसार तहसीलदार आंवला द्वारा वादग्रस्त भूमि गाटा सं0 495/0.809है0 मे से 0.003है0 स्थित ग्राम देवचरा को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल्यांकन का 1 प्रतिशत 330/- तीन सौ तीस रुपये चालान द्वारा बैंक मे जमा कर दिये गये हैं, तथा 1 प्रतिशत का कोर्ट फीस स्टाम्प दाखिल किया गया है। समस्त सहखातेदारों द्वारा अपने शपथ पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को अकृषिक किये जाने के सम्बन्ध मे अनापत्ति व्यक्त की गयी है। न्यायहित मे वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार अंवला की आख्या दिनांक 04.10.2019 के आधार पर ग्राम देवचरा के गाटा सं0 495/0.809है0 मे से 0.003है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश के एक प्रति उपनिबन्धक को तथा दो प्रतियां तहसीलदार आंवला को खतौनी मे अमलदरामद हेतु भेजी जायें। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 11.10.2019

(अरुण कुमार सिंह
उप जिलाधिकारी
आंवला।

सतीश शर्मा
11.10.19
14.10.19
14.10.19
14.10.19
180
7/-

Photocopy
ATTESTED
S.D.M. AONLA
BAREILLY
14.10.19

5 रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
S.C. Shore 11/10/19

2 रु. भारत दो रुपये TWO RUPEES
S.C. Shore 11/10/19

Scanned with CamScanner

नकल

न्यायालय उप जिलाधिकारी (परगनाधिकारी) आंवला, बरेली।

प्रार्थनापत्र संख्या   सन 2006

चन्द्रवती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान द्वारा मनीशा सहगल सचिव निवासी 179 सिविल लाइन्स बरेली.

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश

धारा 143 जि० वि० अधि०

ग्राम देवचरा प० सन्हा तह० आंवला,

जिला बरेली।

श्रीमानजी,

प्रार्थी निम्नवत निवेदन करता है :-

(1) यह कि प्रार्थी एक अधिनियम 1950 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था है और मनीशा सहगल उसके सचिव है जो संस्था के समस्त कार्य करने को अधिकृत है।

(2) यह कि प्रार्थी गाटा संख्या 496 रकबई 0.807 लगानी 38.25 स्थित ग्राम देवचरा प० तह० आंवला, जिला बरेली का भूमिधर काबिज है और संस्था ने जमीन क्रय कर उस पर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाने हेतु चार दीवारी व कमरे तामीरात करा लिये हैं।

(3) यह कि अब उक्त भूमि का उपभोग कृषि भूमि की तरह नहीं हो रहा है और भूमि कृषि एग्रीकल्चर के उपयुक्त नहीं है।

(4) यहकि उक्त भूमि का धारा 143 जि० वि० अधि० के अन्तर्गत घोषणा होना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि गाटा संख्या 496 रकबई 0.807 लगानी 38.25 स्थित ग्राम देवचरा पर० सन्हा तह० आंवला जिला बरेली को धारा 143 जि० वि० अधि० के अन्तर्गत भूमि अकृषिक/औद्योगिक एवं रिहायशी घोषित करने की कृपा की जावे।

दिनांक 19.4.2006

प्रार्थी

(हस्ताक्षर) 19/4/06

127(1)

1131

NT(B)

दिनांक 18/2/19

4973
18/2/19
18/2/19
18/2/19
51/-

बरेली

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिलाधिकारी आंवला [बरेली]

वादसंख्या- 06   सन 2006

चन्द्रवती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा 143 जि० वि० एवं भूमि व्यव० अधि०

ग्राम देवरा

निर्णय

श्री मनीश सहगल सचिव चन्द्रवती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19-4-06 को इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि चन्द्रवती मेमोरियल पंजीकृत संस्था है तथा प्रार्थी इसका सचिव गाटा सं० 496 क्षेत्रफल 0•807 भू-राजस्व 38-25 स्थित ग्राम देवरा का प्रार्थी भूमिधर है तथा इस संस्था के नाम भूमि क्रय करके चन्द्रवती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाने हेतु बाहर दीवारी एवं कमरे तामीर करा लिये है उक्त भूमि का प्रयोग व कृषि प्रयोग हेतु नहीं हो रहा है और भूमि गाटा संख्या 496 क्षेत्रफल 0•807 भूराजस्व 38-25 को रिहायशी घोषित करने की प्रार्थना की इस प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार एवं नायबतहसीलदार वल्लिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक 4-5-06 को तहसीलदार आंवला से 4-5-06 को पृष्ठांकित कर प्रस्तुत की है।

नायब तहसीलदार वल्लिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक 4-5-06 में अंकित किया गया कि ग्राम देवरा के गाटा संख्या 496 क्षेत्रफल 0•807 भू० रा० 38-25 पर वर्तमान में विद्यालय बन रहा है सात कमरे कक्षाओं हेतु व दो कमरे आफिस हेतु बन गये है रिक्त क्षेत्रफल स्कूल की फील्ड आदि के लिए छुटी है तथा नियम 135 जि० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आख्या प्रस्तुत करते हुए भूमि अकृषित घोषित करने व भू-राजस्व माफ करने का कथन किया गया है तहसील आंवला द्वारा भी नायब तहसीलदार की आख्या से सहमति व्यक्त की है और स्कूल आबादी घोषित करने की संस्तुति की है।

मैंने प्रार्थी एवं ग्राम समाज के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता वादी का कथन है कि भूमि गाटा संख्या 496 क्षेत्र०

--2पर

Scanned with CamScanner

0·807 भूराजस्व 38-25 को चन्द्रवती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान की रिहायश/आबादी घोषित करने एवं भूमि अकृषित घोषित करने की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण है वादी के अधिवक्ता के कथन का समर्थन अधिवक्ता ग्राम समाज द्वारा किया गया पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं नायब तहसीलदार व तहसीलदार की आख्या दिनांक 4-5-06 से भी स्पष्ट है कि गाटासंख्या 496 पर चन्द्रवती मेमोरियल शिक्षण संस्थान हेतु कक्षाओं हेतु कमरे व आफिस बन चुके हैं और भूमि अकृषित है तदनुसार भूमि गाटासंख्या 496 आबादी घोषित करके भू-रा० माफ होने योग्य है।

अतः ग्राम देवरा परगना तन्हा तहसील आंवला जिला बरेली के खाता संख्या 149 के गाटा संख्या 496 क्षेत्रफल 0·807 भूराजस्व 38-25 को आबादी घोषित करते हुए अकृषित घोषित किया जाता है और भू०रा० 38-25 माफ किया जाता है परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक 15/5/06.

15/5/06

उप जिलाधिकारी,
आंवला।

दिनांक 18/2/19

4973
16/2/19
18/2/19
18/2/19
7/-